HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE
FORM –'D'
REJECTION ORDER
(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 1289 **Indore, Dated 08.09.2020**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर (म.प्र.)

प्रति,

श्री उमाशंकर पिता श्री गोकर्ण प्रसाद अवस्थी,
पता–141, शिव शक्ति नगर, एम.आई.जी.
अनूप टॉकिज के पीछे, वार्ड नं.28 इन्दौर (म.प्र.)
मोबाईल नंबर–9300003648

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 1308 दिनांक 07/09/2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 23/2020–2021 दिनांक 07/09/2020 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है:–

" (अ) 8 अगस्त 2019 गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के माननीय न्यायाधीश श्री अरूण मिश्रा जी, श्री एस अब्दुल नजीर जी, श्री एम.आर.शाह जी की बैंच ने यह फैसला दिया कि लगातार 12 साल तक संपत्ति पर कब्जा रखने से वही व्यक्ति संपत्ति का मालिक हो जाता है।
(ब) 9 अगस्त 2019 शुक्रवार 2019 पेज 15 देश–विदेश पृष्ठ कालम 6 पर उल्लिखित है दैनिक भास्कर पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।"

आपके द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/– रू शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान–रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है।
2. आपके द्वारा चाही गई जानकारी म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर से संबंधित न होने कारण से आपको प्रदान नहीं कि जा सकती हैं।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ) को अपील कर सकते हैं।

(राजेश कुमार शर्मा) 08.09.2020
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर